19

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3891-I/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–13 पारित द्वारा तहसील न्यायालय तहसील शमशाबाद जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 13/अ–12/2013

1–नजर अली पुत्र मुरादअली
2–वाहिद अली पुत्र मुरादअली
3–प्यारे मियॉ पुत्र मुरादअली
निवासीगण शमशाबाद तहसील शमशाबाद,
जिला विदिशा म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

कस्तूरचंद पुत्र गुमानीराम साहू,
निवासी ग्राम शमशाबाद जिला विदिशा

.....अनावेदक

.....

श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक आवेदक
अनावेदक – एकपक्षीय

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 2/9/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील शमशाबाद जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 13/अ–12/2013 में पारित आदेश दिनांक 26–9–13 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कस्तूरचन्द द्वारा तहसील न्यायालय में एक आवेदन पेश कर ग्राम शमशाबाद जिला विदिशा स्थित पटवारी हल्का

कमांक 7 के भूमि कमांक 271 रकबा 0.042 हेक्टर के सीमांकन कराने हेतु दिया । तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कराने के आदेश दिनांक 26–3–13 दिये तथा राजस्व निरीक्षण एवं पटवारी ने दिनांक 16–9–13 को सीमांकन कर दिनांक 26–9–2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह आधार लिया कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश के पालन में पंचनामा दिनांक 16–9–13 एवं रिपोर्ट दिनांक 26–9–13 विधि विधान एवं अभिलेख से विपरीत है। अनावेदक ने आवेदन में सीमांकन नियम 3(ग) का पालन नहीं किया । सीमांकन आदेश में पड़ोसी भूखण्ड़ों का उल्लेख नहीं किया । पड़ोस में निगरानीकर्ताओं का भूमि कमांक 270 रकबा 0.125 हेक्टर है सीमांकन नियमों का पालन न होने से सीमांकन अवैध है । अनावेदक ने आवेदकगणों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया जबकि उनके कब्जे में भूमि का कुछ क्षेत्रफल पाया गया है । पड़ोसी भूमि स्वामी होने से निगरानीकर्ताओं को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई तथा सूचना पत्र दिनांक 10–9–13 अपूर्ण होकर बिना तामील रिपोर्ट का होने से विधिवत् नहीं है तथा आवेदकगणों को सूचना नहीं देने से सीमांकन उन पर बंधनकारी नहीं है व सीमांकन कार्यवाही अवैधानिक रूप से की गई है क्योंकि पड़ोसी भूखण्डों की माप किये बिना फील्डबुक व्यर्थ है जो त्रुटिपूर्ण होने से पढे जाने योग्य नहीं है । नियमों के अनुसार पड़ोसी भूखण्डों की नाप आवश्यक है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय के आलोच्य सीमांकन आदेश दिनांक 26–3–13 सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 26–9–13 एवं पंचनामा दिनांक 16–9–13 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया ।

4– प्रकरण में अनावेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया । तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने दिनांक 18–9–2013

को आपत्ति प्रस्तुत की । दिनांक 5–7–2013 को आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भी आपत्ति प्रस्तुत की थी जो उन्होंने तहसीलदार को निराकरण हेतु भेजी । लेकिन तहसीलदार ने आवेदक की उक्त दोनों आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया । आवेदक को सुनवाई का कोई मोका नहीं दिया तथा सीमांकन प्रकिया को अंतिम रूप दे दिया । जबकि आपत्ति प्राप्त होने पर तहसीलदार का कर्त्तव्य था कि वह इस आपत्ति का विधिवत् निराकरण करते ।

6– अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदक की आपत्तियों का विधिवत् निराकरण करते हुये सीमांकन के संबंध में निर्णय लेवें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.